कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–61 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सुभाष यादव पुत्र अद्या प्रसाद यादव नि0 बनकटवा बाजार थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–56/21, 02. अर्जुन पुत्र रामनरेश पुत्र दौलतपुर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–57/21, 02. कृष्ण कुमार पुत्र रामजियावन नि0 केशवनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–58/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.05.2021

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने मु0अ0सं0– 92/21, धारा–376(2)(एन),313,506,504 भादवि व 5जे0(2)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त फैय्याज उर्फ नक्कन पुत्र मोहर्रम अली नि0 मिर्जा का पुरवा ऐलनपुर ग्रन्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को मुखबिर खास की सूचना पर संत नगर चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. फैय्याज उर्फ नक्कन पुत्र मोहर्रम अली नि0 मिर्जा का पुरवा ऐलनपुर ग्रन्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–92/21, धारा–376(2)(एन),313,506,504 भादवि व 5जे0(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

व0उ0नि0 विसुनदेव पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.05.2021

शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही, अशांति फैलाने वाले 78 व्यक्ति गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने पंचायत चुनाव के सकुशल संपन्न होने के पश्चात जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को थानाक्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने व छोटे से छोटे मामलों को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में जनपदीय पुलिस ने अपने–अपने क्षेत्रों में छोटे से छोटे मामलों को संज्ञान में लेते हुए एवं शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए अशांति फैलाने वाले कुल–78 व्यक्तियों को शांति भंग की आशंका के मद्देनजर गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया है। जिसमें थाना वजीरगंज ने 24, थाना को0 देहात ने 20, थाना इटियाथोक ने 09, थाना खरगूपुर ने 06, थाना उमरीबेगमगंज ने 04, थाना छपिया ने 04, थाना को0 नगर ने 04 व्यक्तियों को, थाना धानेपुर ने 03 तथा थाना नवाबगंज ने 03 व्यक्तियों को धारा– 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय कर भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया है।

उक्त कार्यवाही के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक थाना प्रभारी को अशांति फैलाने वालो के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिए है।